कार्यवृत्त नीलामी

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5098/admin.(B-1) Section allahabad **दिनांकित 26/05/2025 तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सहारनपुर के आदेश दिनांक 26/05/2025** के अनुपालन में बाह्य न्यायालय देवबन्द, सहारनपुर के क्षतिग्रस्त व पुराने निष्प्रयोज्य फर्नीचरों व बिजली के समान की नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में बाह्य न्यायालय देवबन्द में भूतल स्थित सभा कक्ष में नीलामी समिति की बैठक हुईं, जिसमें श्री विनीत कुमार वासवानी, अध्यक्ष नीलामी समिति/ अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, देवबन्द, श्री परविन्दर सिंह अपर सिविल जज (सी०डी०),सदस्य नीलामी कमेटी, उपस्थित आये। श्री संजीव कुमार शर्मा, सदस्य नीलामी कमेटी, कोर्ट मैनेजर सहारनपुर में कार्य व्यस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

नीलामी की कार्यवाही शुरू की गयी, जो इस प्रकार हैः-

बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित क्षतिग्रस्त व पुराने निष्प्रयोज्य फर्नीचरों व बिजली के समान की नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में नीलामी हेतु दिनांक 23/06/2025 की सायं 5.00 बजे तक मुहरबन्द निविदाएं/टेण्डर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 24/06/2025 को सांय 4.30 बजे तक बाह्य न्यायालय देवबन्द मिटिंग हाल में खोली जायेगी ।

उक्त नीलामी के सम्बन्ध में नीलामी दिनांक 24/06/2025 को समय 4.30 बजे स्थान बाह्य न्यायालय देवबन्द में भूतल स्थित सभागार कक्ष में नियत की जाती है इस सम्बन्ध में उपनाजिर को निर्देशित किया जाता है कि नीलामी की आगामी तिथि का प्रचार प्रसार किया जावे तथा राष्ट्रीय समाचार एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार प्रकाशित कराया जाये।

आज की नीलामी की कार्यवाही से अवगत कराते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में आख्या संस्तुति सादर प्रस्तुत हो।

श्री संजीव कुमार शर्मा **सदस्य,नीलामी कमेटी** **कोर्ट मैनेजर,सहारनपुर** **(अनुपस्थित)** **30/05/2025**	**श्री परविन्दर सिंह** **सदस्य, नीलामी कमेटी** **अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** **बाह्य न्यायालय, देवबन्द** **30/05/2025**	**श्री विनीत कुमार वासवानी** **अध्यक्ष, नीलामी कमेटी** **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश** **बाह्य न्यायालय, देवबन्द** **30/05/2025**

Approved

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR
30.5.2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5098/admin.(B-1) Section allahabad **दिनांकित 26/05/2025** तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सहारनपुर के आदेश दिनांक 26/05/2025 के अनुपालन में बाह्य न्यायालय देवबन्द, सहारनपुर के क्षतिग्रस्त व पुराने निष्प्रयोज्य फर्नीचरों व बिजली के समान की नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए दिनांक 23/06/2025 की सांय 5 बजे तक सीलबन्द निविदाएं/ टेन्डर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 24/06/2025 को समय सांय 4:30 बजे तक बाह्य न्यायालय देवबन्द मिटिंग हॉल में खोली जायेगी।

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं द्वारा नीलामी के नियम व शर्तों का अवलोकन बाह्य न्यायालय देवबन्द के नजारत तथा जनपद न्यायालय सहारनपुर, नजारत के बाहर लगें सूचनापट पर किया जा सकता हैं।

दिनांक-30/05/2025

विनीत कुमार वासवानी
(अध्यक्ष नीलामी समिति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय देवबन्द सहारनपुर।

नियम व शर्तें

न्यायपीठ सहारनपुर के बाह्य न्यायालय देवबन्द में पड़े निष्प्रयोज्य पुराने लोहे लकड़ी के फर्नीचर की नीलामी माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5098/admin.(B-1) Section allahabad दिनांकित 26/05/2025 तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सहारनपुर के आदेश दिनांक 26/05/2025 के अनुपालन में नीलामी समिति द्वारा उपरोक्त फर्नीचर को नीलाम करने हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्ते निर्धारित की गयी है, जिनका अनुपालन अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

1.जिस ठेकेदार के पक्ष में अधिकतम बोली लगाने पर नीलामी छोड़ी जायेगी उसको नीलामी की एक मुश्त धनराशि नीलामी छुटने के बाद जमा करानी होगी। एक मुश्त धनराशि जमा न कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

2 अनुज्ञप्ति धारक के किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति धारक को करनी होगी।

3 अनुज्ञप्ति धारक को सम्पूर्ण ठेके की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।

5. बोलीदाताओं द्वारा बोली देने से पूर्व अकन **6,000/- रुपये** प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा नकद जमा करानी होगी, बोली की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन बोलीदाताओं के नाम ठेका नही छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।

6. समस्त बोलीदाताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

7. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाली बोली की धनराशि को माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।

8. ठेकेदार को यदि किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वय यहन करना होगा।

9 ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नही दिया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

10. ठेकेदारी के समय यदि कोई सामान क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी

11 ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा न स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।

12 समस्त बोली प्राप्त करने वाले ठेकेदार को बोली की समस्त धनराशि एकमुश्त नीलामी छूटने बाद अन्दर सप्ताह जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और अ जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13.जिस बोलीदाता का ठेका स्वीकार किया जायेगा उस बोलीदाता की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रुप में जमा रखा जायेगा। ठेके वी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14. ठेकेदार द्वारा उसके पक्ष में नीलामी छूटने के बाद नीलाम किये गये सामान को उठाने का खर्च स्वयम् ठेकेदार द्वारा बहन किया जायेगा।

15 समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगे व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खधे पर करेंगे।

16. ठेकेदार इस आशय का भी देगा कि यह पूर्व डिफाल्टर नहीं है।

श्री संजीव कुमार शर्मा
सदस्य,नीलामी कमेटी
कोर्ट मैनेजर,सहारनपुर
(अनुपस्थित)
30/05/2025

श्री परविन्दर सिंह
सदस्य, नीलामी कमेटी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाह्य न्यायालय, देवबन्द
30/05/2025

श्री विनीत कुमार वासवानी
अध्यक्ष, नीलामी कमेटी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय, देवबन्द
30/05/2025

Seen

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR
30-5-2025